सत्य प्रतिलिपि सं०– 819
अ०स्टाम्प– 500

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 236 / 2013
अशोका एकाडेमी द्वारा
कुबेरदत्त शर्मा

धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट
बनाम सरकार

ग्राम नंगलाताशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ।

सत्य प्रतिलिपि :: निर्णय :: दिनांक–25/7/2013

प्रार्थी अशोका एकाडेमी अम्बेडकर नगर कंकरखेड़ा मेरठ द्वारा कुबेरदत्त शर्मा पुत्र श्री शिवचरण निवासी 101 गोविन्दपुर कंकरखेडा मेरठ ने धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि भूमि खाता संख्या 13 के खसरा संख्या 53मि0 रकबा 0.6480 है0, लगानी 31.85/- ... स्थित ग्राम नंगलाताशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ के मालिक, काबिज व अधिकारी ... उपरोक्त भूमि कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से सम्बद्ध प्रयोजन में नहीं आ रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि आबादी से मिली हुई है, जो शिक्षण कार्य में उपयोग की जा रही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराने का अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अभिलेखीय साक्ष्य में विक्रय–पत्र की छायाप्रति दाखिल की है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार मेरठ से आख्या प्राप्त हुई। तहसील आख्या दिनांक 17–07–2013 को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम नंगलाताशी कासमपुर कागजातमाल खाता खतौनी संख्या 16 पर अशोका एकाडेमी अम्बेडकर नगर ... खेडा द्वारा कुबेरदत्त शर्मा पुत्र शिवचरण निवासी गोविन्दपुर कंकरखेडा तहसील व जनपद ... के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत गाटा संख्या 53मि0 में मौके पर आबादी / शिक्षण संस्थान बना है, कोई कृषि कार्य, पशुपालन, कुक्कुटपालन या कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तहसील आख्या में उक्त भूमि को धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से आपत्ति दाखिल करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम संख्या 1 में कहा गया है कि मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किये जा सकते हैं, तो उक्त वाद में निर्माण कार्य की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है, बल्कि प्रश्नगत भूमि को कृषक भूमि से अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। क्रमांक 2 में लिखा गया है कि किसी भी निर्माण कार्य करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 2 का धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने पर कोई प्रभाव नहीं पडता। बिन्दु संख्या 3 में कहा गया है कि अकृषिक घोषित करने से अनाधिकृत कालोनियाँ विकसित हो जायेंगी। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी अनाधिकृत कालोनी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण सक्षम है, भूमि के अकृषिक घोषित होने से उक्त अवैध कालोनियों को किसी प्रकरण का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। बिन्दु संख्या 4 में उल्लिखित तथ्यों के बारे में स्पष्ट है कि उक्त महायोजना के प्राविधान के विरूद्ध यह आदेश स्वतः ही उक्त सीमा तक स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। साथ ही बिन्दु संख्या 5 में जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट के उक्त प्राविधान के अन्तर्गत किसी आवेदन / वाद को निषेधित नहीं किया जा सकता। वाद के संबंधित पक्षों

क्र0सं0पृ0सं0 2 पर ------

न्यायालय उप जिलाधिकारी * मेरठ *

YSL College of Education, Kanker Khera (Meerut)

एवं प्राधिकरण के कथनों को सुन कर, वाद को गुण–दोष पर निस्तारण करना उचित एवं विधिसंगत होगा। अतः बिन्दु संख्या 4, 5, 6 का कोई प्रभाव भी उक्त वाद के सम्बन्ध में नहीं पडता। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत आपत्ति बलहीन है एवं तदनुसार निरस्त की जाती है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 00016 पर अशोका एकाडेमी अम्बेडकर नगर कंकरखेडा द्वारा कुबेरदत्त शर्मा पुत्र शिवचरण व राजकुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्रामवासी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। तहसील आख्या दिनांक 17–07–2013 तथा नक्शा नियम 135 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली से स्पष्ट है कि खाता संख्या 16 के खसरा संख्या 53मि0 रकबा 0.6480 है0, लगानी 31.95/– रु0 पर आबादी बनी है, अकृषिक प्रयोजन की भूमि है। चूंकि उक्त भूमि कृषि कार्यों में प्रयोग नहीं की जा रही है, बल्कि मौके पर दीवार बनी है। अतः यदि भविष्य में प्रश्नगत भूमि का क्रय–विक्रय होता है, तो प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्टाम्प राजस्व की हानि होगी। तहसील आख्या में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तहसील आख्या दिनांक 17–07–2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम नंगलाताशी कासमपुर स्थित भूमि खाता संख्या 00016 के खसरा संख्या 53मि0 रकबा 0.6480 है0, लगानी 31.95/– रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान [illegible] किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 17–07–2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आ[illegible] वतः ही निरस्त हो जायेगा। आदेश की प्रति अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ एवं उपनिबंधक, मेरठ [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्राव[illegible] बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :–25–07–2013

25/7/13
(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय उद्घोषित किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक :–25–07–2013

पेशकार/अहलमद
न्यायालय उप जिलाधिकारी
मेरठ।

(अरविन्द कुमार मि[illegible])
उप जिलाधिकारी,
मेर[illegible]

6-50
25/7/13
27/7/13
27/7/13